कार्यालय प्रभारी गैराज, नगर निगम, सहारनपुर।

पत्रांकः 206 /निविदा/गै०स्टो०/न०नि०सहा०/2024–25 दिनांकः 13/02/2025

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि नगर निगम सहारनपुर के गैराज विभाग में यूज्ड पॉलिथीन/प्लास्टिक के निस्तारण हेतु दरें (प्रति किलोग्राम) वित्तीय वर्ष 2024-25 के अवशेष माह एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 लिये इच्छुक फर्म/ठेकेदार से दिनांक 14.02.2025 से 20.02.2025 को अपरान्ह 02.00 बजे तक वेबसाईट **www.etender.up.nic.in** पर शर्तो के आधार पर आमन्त्रित की जाती है। निविदा संबंधित सभी अभिलेख एवं शर्ते वेबसाइट **www.etender.up.nic.in** पर एवं नगर निगम की वेबसाइट **http::// saharanpurnagarnigam.com** पर उपलब्ध रहेंगे, जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा को वेबसाइट **www.etender.up.nic.in** पर ही ऑनलाईन डाला जा सकता है। ठेकेदार/फर्म को निविदा के साथ निर्धारित जमानत राशि एवं निविदा मूल्य ई-निविदा वेबसाइट पर ऑनलाईन माध्यम से भुगतान करना होगा। बिना जमानत राशि, निविदा मूल्य एवं सशर्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर में निहित होगा।

E Bid REFERANCE	GS-06/2024-25/2025-26
PUBLISH DATE AND TIME FOR RFP	14-02-2025
LAST DATE AND TIME FOR SUBMISSION OF E-Bids	20-02-2025 at 2:00 PM
DATE AND TIME OF OPENING OF ONLINE TECHNICAL E-Bids	20-02-2025 at 4:00 PM
PLACE OF OPENING OF E-Bids	Nagar Nigam Office (Sre.)
E-Bids SECURITY	20,000/- (Payble at e-tender website)
E-Tender Document Processing	236/- With GST Non-Refundable (Payble at e-tender website)

प्रभारी गैराज
नगर निगम, सहारनपुर

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि – 1. माननीय महापौर महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. लेखाधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर को सूचनार्थ।
2. आई.टी.ओ., नगर निगम, स0पुर, को नगर निगम की वेबसाईट **saharanpurnagarnigam.com** पर अपलोड करने हेतु।
3. प्रबन्धक दैनिक अमर उजाला एवं दैनिक राष्ट्रदीप समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन अपने समाचार पत्र में कम से कम स्पेस में 09 फोन्ट में (12x12 Sqcm) डीएवीपी दर/शासकीय दर पर प्रकाशित कर, बिल 03 प्रतियों सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। अधिक फोन्ट में प्रकाशन किये जाने पर भुगतान नहीं किया जायेगा। जिस हेतु कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
4. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. गार्ड फाईल हेतु।

प्रभारी गैराज
नगर निगम, सहारनपुर

सहारनपुर नगर निगम, सहारनपुर

GS- 06 यूज्ड पॉलिथीन/प्लास्टिक के निस्तारण/नीलामी हेतु ई-टैण्डर के सम्बन्ध में शर्तेः-

1. यह निविदा ई-टैण्डर के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।
2. उक्त दरें वित्तीय वर्ष 2024-25 के अवशेष माह एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये मान्य होंगी।
3. निविदा की दरें ई-टैण्डर के साथ दी गयी बी.ओ.क्यू. में दरे प्रति किलोग्राम के अनुसार निविदा डाल सकते हैं। उक्त दरें प्रति किलो जी.एस.टी. सहित डालनी होगी। अधिकतम नीलामीदाता को निविदा में प्राप्त सामग्री की अधिकतम दर के आधार पर ही निविदा स्वीकृत की जायेगी। निविदा में डाली गयी दर के अतिरिक्त कोई अन्य भुगतान नगर निगम सहारनपुर द्वारा नहीं किया जायेगा।
4. यह निविदा नगर निगम की वेबसाइट http::/saharanpurnagarnigam.com पर भी उपलब्ध होगी। निविदा को www.etender.up.nic.in वेबसाइट पर ही डाला जा सकता है।
5. निविदा डालते समय निविदा का शुल्क 200+36 = 236/- रू0 (जी0एस0टी0 सहित) एवं धरोहर राशि रूपये 20,000.00 (बीस हजार रूपये) ई-टैण्डर वेबसाईट पर ऑनलाईन प्राप्त की जायेगी।
6. यह कि नीलामीदाता को निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठों पर मोहर सहित हस्ताक्षर करने होंगे। जिससे निविदा के प्रत्येक शब्द पर नीलामीदाता की सहमति माना जायें।
7. निविदा डालते समय किसी भी विभाग में Debar न होने, किसी विभाग का बकाया न होने एवं किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्ट न होने का 100/- रू0 के स्टाम्प पर शपथ पत्र कम्पनी/ठेकेदार का पैन नं., जी.एस.टी. का रजि. नं. की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
8. नीलामीदाता को निविदा प्रपत्र पर नाम, पता हस्ताक्षर, मोबाइल नम्बर, जी0एस0टी0 नं0, पैन नं0 अपलोड करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र पर किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवर राईटिंग एवं संशोधन मान्य नहीं होगी। यदि इस प्रकार की कोई भी त्रुटि निविदा प्रपत्र पर पाई गयी, तो उसका समस्त उत्तरदायित्व नीलामीदाता का होगा।
9. नीलामीदाता की संस्था व एजेन्सी का प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 के नियम-13 के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्लास्टिक वेस्ट रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
10. नीलामीदाता द्वारा अपने रजिस्टर्ड संस्था का पूर्ण अभिलेख निविदा के नियम व शर्तों के अनुरूप समय सीमा के अन्दर अपलोड करना होगा।
11. नीलामीदाता नगर निगम द्वारा प्राप्त यूज्ड पॉलिथीन/प्लास्टिक का निस्तारण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के प्रचलित इनवायरमेन्टल कम्पनसेशन अधिनियम के अन्तर्गत ही करना होगा।
12. नीलामीदाता द्वारा नगर निगम से प्राप्त यूज्ड पॉलिथीन/प्लास्टिक का विक्रय किसी भी बाजार में नहीं किया जायेगा, इस आशय का शपथ देना होगा एवं अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण करायेगा।
13. नीलामीदाता खाली प्लाटों एवं मुख्य चौराहो पर बिखरी पड़ी यूज्ड पॉलिथीन/प्लास्टिक के क्रय मूल्य का जिक्र अपने फाईनेंशियल बिड में प्रति किलो की दर से जी0एस0टी0 सहित जरूर करेगा जिससे क्रय दर की स्पष्टता बनी रहे। इसका प्रारूप वित्तीय बिड के रूप में संलग्न है।
14. फर्म का चयन डबल बिड सिस्टम के द्वारा किया जायेगा। फर्म की तकनीकी शर्ते पूरी हो जाने के बाद ही फर्म का चयन न्यूनतम निविदादाता के अनुसार ही किया जायेगा।
15. सर्वोच्च नीलामीदाता द्वारा नगर निगम कैम्पस/स्टोर/जहां यूज्ड पॉलिथीन/प्लास्टिक उपलब्ध है, वहां से तौल कराना होगा जिसकी विडियोग्राफी करना अनिवार्य होगा। जिसका व्यय सर्वोच्च निविदादाता द्वारा किया जायेगा।
16. सर्वोच्च नीलामीदाता द्वारा जितनी यूज्ड पॉलिथीन/प्लास्टिक उठायी जायेगी उसके हिसाब से उतनी धनराशि एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित को निगम कोष में जमा करानी होगी।
17. यूज्ड पॉलिथीन/प्लास्टिक को ले जाने के लिए वाहन, लेबर, लोडिंग, अनलोडिंग आदि सभी प्रकार के व्यय सर्वाधिक दरों के नीलामीदाता द्वारा किया जायेगा। उक्त कार्य हेतु नगर निगम द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिपूर्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा।
18. नीलामीदाता विभाग से प्राप्त यूज्ड पॉलिथीन/प्लास्टिक का निस्तारण करने हेतु उसकी कटिंग कर अपने एजेन्सी के तहत निर्मित सामग्री के रूप में कर सकता है। जैसे बेंच, ट्री गार्ड, गमले, डस्टबिन, प्लास्टिक के उपयोगी सामान के रूप में इत्यादि।

19. नीलामीदाता नगर निगम द्वारा प्राप्त यूज्ड पॉलिथीन/प्लास्टिक का निस्तारण कराये जाने के उपरान्त उसका स्पष्ट आख्या फोटोग्राफ के साथ नगर निगम में जमा करना होगा।
20. निविदादाता/नीलामीदाता संस्था/एजेन्सी किसी भी रूप में नगर निगम सहारनपुर में खाली प्लाटों एवं मुख्य चौराहो पर बिखरी पड़ी यूज्ड पॉलिथीन/प्लास्टिक के क्रय-विक्रय के दौरान नगर निकाय/सरकारी/गैर सरकारी विभाग द्वारा दण्डित ना किया गया हो इस आशय का शपथ पत्र रूपया-10.00 के स्टाम्प पेपर पर देना होगा।
21. नीलामीदाता की निविदा का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है यदि वे निविदा अथवा किसी भी संशोधन में मांगे गए किसी भी प्रमाणपत्र/दस्तावेज अपलोड नहीं करते हैं।
22. कार्यदेश जारी करने के 10 दिन के अन्दर नगर निगम कैम्पस/स्टोर/जहां यूज्ड पॉलिथीन/प्लास्टिक उपलब्ध है, वहां से उठाना होगा।
23. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को अवकाश होता है, तो निविदा अगले दिन उसी समय दी जायेगी व अगले दिन उसी समय खोली जायेगी। इस हेतु अलग से कोई सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की जायेगी।
24. नगर आयुक्त को जनहित में किसी भी शर्त को परिवर्तित करने अथवा संशोधित करने का अधिकार होगा। यदि कोई संशोधन होता है तो इसकी सूचना निविदा वेबसाईट पर ही दी जायेगी। अलग से समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। सभी संभावित निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वह नियमित रूप से ई-निविदा पर निगरानी रखें।
25. किसी भी शर्त के उल्लंघन करने पर जुर्माना करने, जमा धनराशि जब्त कर निविदा निरस्त करने और फर्म को प्रतिबन्धित ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार नगर आयुक्त को होगा।
26. यह कि सर्वोच्च नीलामीदाता यदि सामग्री का क्रय करने से इन्कार करता है तो जमा की गयी धनराशि जब्त कर दी जायेगी।
27. यह कि सम्पूर्ण नीलामी को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा।
28. यह कि किसी भी विवाद के लिए न्यायायिक क्षेत्र सहारनपुर न्यायालय होगा।

<u>गैराज अनुभाग :-</u>

जैड0एस0ओ0	प्रभारी गैराज	वरिष्ठ प्रभारी गैराज/अपर नगर आयुक्त

<u>निविदा पुनरीक्षण समिति :-</u>

ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	प्रभारी गैराज	लेखाधिकारी	अपर नगर आयुक्त (द्वितीय)